पंचायती राज विभाग की तीन वर्ष की महत्वपूर्ण निर्णय/उपलब्धियां

- 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में 2 अक्टूबर, 2010 को आम जनता से जुड़े 5 विभागों क्रमशः प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं कृषि विभाग की जिला स्तर तक की निधियां, गतिविधियां एवं स्टाफ (3F) पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कियें गयें हैं, साथ ही हस्तान्तरित स्टाफ पर प्रभावी पर्यवेक्षण की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किये गयें है।

- हस्तान्तरित गतिविधियों एवं स्टॉफ आदि के क्रियान्वयन के सुचारू रूप से संपादित करने व हस्तान्तरण को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु तीन सदस्यीय मंत्रिगणों की समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में जिला स्तर पर स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है।

- हस्तान्तरित 5 विभागों के बजट को कार्यकलापों एवं अधिकारियों के वेतन भुगतान के लिए सम्बन्धित विभागीय लेखा शीर्षो के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के लिए निर्धारित लघु शीर्ष 196, 197 एवं 198 के अधीन कर 1.4.2011 से प्रावधान कर दिया गया है।

- भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल को आयोजित राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह में पंचायतीराज संस्थाओं को जिला स्तर तक की निधियों, गतिविधियों एवं स्टॉफ को प्रभावी रूप से हस्तान्तरण (Devolution Index) के लिए राज्य को प्रथम पुरूस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र एवं डेढ़ करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

- पंचायतीराज संस्थाओं को भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के पुनर्सीमांकन एवं पुनर्गठन के तहत 10 नई पंचायत समितियों के नव सृजन की अधिसूचना दिनांक 28.10.2009 को जारी की जा चुकी है। इस प्रकार राज्य में अब कुल 249 (पं.स.ऋषभदेव पर माननीय न्यायालय का स्थगन है) पंचायत समितियां है।

- राज्य सलाहकार समिति से अनुमोदन पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से दिनांक 11.11.2011 को पीसा नियमों को अधिसूचित किया जा चुका है।

- पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण एवं इससे जुडे जनप्रतिनिधियों को बेहतर प्रशिक्षण की नेतृत्व क्षमता बढाने हेतु वर्ष 2010–11 में लगभग सभी 1 लाख 20 हजार से अधिक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों को आदेश दिनांक 01.09.09 व दिनांक 22.10.2009 द्वारा निम्नानुसार मानदेय बढाया गया है।

क्र.सं.	जन प्रतिनिधि	मानदेय		
		पूर्व में	आदेश दिनांक 01.09.09 के द्वारा संशोधित	आदेश दिनांक 22.10.2009 के द्वारा संशोधित
1	जिला प्रमुख	4000	5100	7500
2	प्रधान	2600	3100	5000
3	सरपंच	600	1000	3000

- ✦ पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों में ग्राम पंचायत सदस्य के ₹ 50 से 75, पंचायत समिति सदस्य के ₹ 75 से 100, जिला परिषद सदस्य के ₹ 90 से 125 बैठक भत्ते में वृद्धि किये जाने के आदेश दिनांक 22.10.2009 द्वारा जारी किए गए।

- ✦ दिनांक 12.4.2010 को जिला प्रमुखों की यात्राओं के लिए निर्धारित दिवसों की संख्या 120 से बढाकर 240 दिवस तथा प्रधानों के लिये यात्राओं के दिवसों की संख्या 60 दिन से बढाकर 120 दिन प्रति वर्ष किये जाने के आदेश जारी किये गये।

- ✦ पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित विभागों के कारण उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। सभी पंचायत समितियों के प्रधानगणों के उपयोग हेतु एक वाहन अलग से उपलब्ध कराने बाबत विभागीय आदेश दिनांक 11.4.2011 द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

- ✦ इसी क्रम में सभी जिला परिषदों के जिला प्रमुखों के उपयोग हेतु एक वाहन अलग से उपलब्ध कराने बाबत विभागीय आदेश दिनांक 5.5.2011 द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

- ✦ वर्ष 2010—11 में नवगठित 11 पंचायत समितियों में भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति दिनांक 29.10.10 द्वारा सम्बन्धित पंचायत समितियों को राशि का आवंटन किया जा चुका है। सभी संबंधित जिलों को स्वीकृत 11 पंचायत समितियों हेतु प्रस्तावित भवन का नक्शा, साईट प्लान आदि तैयार कर उपलब्ध करवा दिया गया है।

- ✦ जिला परिषद, बारां एवं प्रतापगढ़ हेतु नये कार्यालय भवनों का निर्माण कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाये जाने हेतु कुल 564.87 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

- ✦ पंचायती राज संस्थाओं में लम्बे समय से निष्क्रिय रही **स्थायी समितियों** को क्रियाशील करने तथा पंचायती राज संस्थाओं में निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 जारी किये जा चुके है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में 4 व 19 को दो बार, पंचायत समिति की प्रत्येक माह की प्रथम व तीसरे सोमवार को दो बार, जिला परिषद की प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को बैठक आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिये गये है।

- ✦ 1 अप्रेल 2011 से **ग्राम सचिवालय व्यवस्था** को सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक माह की 5, 12, 20 व 27 तारीख को ग्राम पंचायत पर ग्राम पंचायत स्तरीय सभी विभागों के कर्मचारियों को उपस्थित रहकर आमजन के कार्य सम्पन्न किये जायेगें। इस व्यवस्था से एकतरफ विभागीय योजनाओं के सम्पादन में गति मिलेगी, साथी आपसी सामन्जस्य से आमजन की समस्याओं का निराकरण भी आसानी से हो सकेगा और योजनाओं का लाभ भी त्वरित गति से मिलेगा।

- ✦ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 46 के प्रावधानों की पालना तथा पंचायत समिति के कार्यो में पारदर्शिता एवं बेहतर संचालन हेतु अब साधारण सभा की बैठक माह के अंतिम गुरूवार के स्थान पर ''माह के अन्तिम शुक्रवार'' की तिथि निर्धारित की गई है ।

- **ग्राम पंचायतों में मानक स्टेशनरी का उपयोग** के संबंध में सभी ग्राम पंचायतों में उपयोग मे ली जा रही स्टेशनरी यथा रोकड़ बही, रसीद बुक, पटटा बही एवं ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर आदि में एकरूपता लाने एवं गुणवत्ता पूर्ण स्टेशनरी उपलब्ध कराने वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रारंभ से ही करने के लिए सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्रांक 230 दिनांक 1.2.2011 द्वारा निर्देशित किया गया हैं।

- राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चरागाह, चरनोट, ओरन आदि भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने बाबत दिनांक 24.3.2011 को निर्देश जारी कर दिये गये है।

- अतिक्रमणमुक्त भूमि पर चरागाह विकास हेतु वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, वृक्षारोपण तथा कच्ची चारदीवारियों के कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करवाते हुए निस्पादित करवाये जाने के निर्देश दिनांक 24.3.2011 जारी कर दिये गये है।

- जिला परिषद स्तर पर मुख्य विधि सहायक के 33 नवीन पद, पंचायत समिति स्तर पर पंचायत प्रसार अधिकारी के 182 अतिरिक्त पद, कनिष्ट लिपिकों के 309 पद तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 209 नवीन पदों के सृजन के आदेश दिनांक 28.4.2011 को जारी कर दिये गये है। जिला परिषदों द्वारा उक्त स्वीकृतियों के विरूद्व मृतक आश्रितों के आवेदकों में से 134 कनिष्ठ लिपिक तथा 133 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं।

- राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के तहत वर्ष 2007–08 के 75 पदों पर दिनांक 23.12.10 को व वर्ष 2008–09 के 74 पदों पर दिनांक 11.08.11 को विभाग द्वारा परीविक्षाधीन अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है। वर्ष 2009–10 हेतु शेष 74 पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अन्तिम परिणाम घोषित कर दिया है। कार्मिक विभाग द्वारा चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

- विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं के 170 रिक्त पदो पर भर्ती की कार्यवाही की गई, जिसमें से 164 कनिष्ठ अभियन्ताओं ने विभिन्न पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पदों पर कार्यग्रहण कर लिया है।

- राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतो में रिक्त चल रहे ग्राम सेवको के 703 पदो की पूर्ति के लिये परीक्षा आयोजित कर सफल चयनित अभ्यार्थियों कों जिला परिषदो के माध्यम से नियुक्ति दी जा चुकी है।

- सहायक अभियन्ताओं के 14 पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अन्तिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

- विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति, उल्टी प्रतिनियुक्ति एवं सेकंडमेंट पर आये 1995 कार्मिकों का ग्राम सेवक के पद पर समायोजन किया जा चुका है।

पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की माह दिसम्बर, 08 से अब तक की प्रगति

1. आवासीय भूखण्ड आवंटन एवं पट्टे जारी करना :

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में **76346** आवास विहीन गरीब परिवारों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये हैं।
- **136918** बी. पी. एल. परिवारों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये हैं।
- **305030** पुराने आवासीय भवनों के पट्टे जारी किये गये।
- **48161** मकानों के नियमितिकरण के पट्टे जारी किये गये।
- इस प्रकार से योजनान्तर्गत कुल 566455 परिवार लाभान्वित किये गये जिसमें प्रशासन गावों के संग अभियान 2010 की प्रगति भी शामिल है।

2. पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.)

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से चयनित 12 जिलों में पिछड़ा क्षेत्र विकास (बी.आर.जी. एफ) कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।
- माह दिसम्बर, 08 से अब तक भारत सरकार से योजनान्तर्गत 756.**94** करोड़ की राशि प्राप्त कर कार्यकारी एजेन्सी एवं सम्बन्धित जिलों को हस्तानान्तरित की जा चुकी है।
- माह दिसम्बर, 08 से अब तक जिलों द्वारा उपलब्ध राशि में से 625.24 करोड़ की राशि व्यय कर 22988 कार्य **पूर्ण करवाये गये।.**

3. जिला आयोजना का निर्माणः

- विकेन्द्रित जिला आयोजना की प्रक्रिया को अपनाते हुये 11 वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007–12 तैयार की गई। 11 वीं पंचवर्षीय जिला योजना के तहत ग्राम/वार्ड स्तर के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वार्षिक जिला योजना 2008–09 / 2009–10, 2010–11 व 2011–12 का निर्माण करवाया गया। राज्य के सभी लगभग 40000 गाँवों एवं नगर निकायों को इस प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त योजना निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये जाकर ग्राम/वार्ड सभाओं की बैठकों में इन पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्राथमिकताऐं निर्धारित की गई।

3.1 निर्बन्ध राशि योजनाः

- यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रारंभ की गई है। माह दिसम्बर, 08 से अब तक 4075.00 लाख की अनुदान राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित की गई।
- माह दिसम्बर, 08 से अब तक जिलों द्वारा उपलब्ध राशि में से 2432.65 लाख की राशि व्यय कर 1214 कार्य **पूर्ण करवाये गये।.**

4. **राज्य वित्त आयोग–तृतीय** की पंचाट अवधि 2005–2010 है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के रख–रखाव हेतु माह दिसम्बर, 08 से अब तक 580.84 करोड़ की अनुदान राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित की गई।

5. **राज्य वित्त आयोग–चतुर्थ** की पंचाट अवधि 2010–2015 है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के गठन किया जा चुका है। आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार ने समिति की सिफारिशों पर वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिए सहमति प्रदान कर दी है। जिसके फलस्वरूप चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2010–11 की राशि 411.60 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए प्रावधित राशि 450.00 करोड़ में से 150.00 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित किये जा चुके है।

6- बारहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2005–2010 है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी क्रिया–कलापों हेतु माह दिसम्बर, 08 से अब तक 369.00 करोड़ की अनुदान राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित की गई है।

7. **तेरहवें वित्त आयोग** के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान के रूप में पंचाट अवधि 2010–11 से 2014–15 तक है। तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान के रूप में पंचाट अवधि 2010–11 से 2014–15 तक के लिये कुल 3969.30 करोड़ रूपये की राशि प्रावधित की गई है। जिसमें 2575. 30 करोड़ रूपये की राशि सामान्य बुनियादी अनुदान, 18.00 करोड़ रूपये की राशि विशेष क्षेत्र बुनियादी अनुदान, 1363.40 करोड़ रूपये की राशि सामान्य निष्पादन अनुदान एवं 12.60 करोड़ रूपये की राशि विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान के रूप में प्रावधित है।

- भारत सरकार से वर्ष 2010–11 के लिए दो किस्तों में 370.10 करोड़ की एवं वर्ष 2011–12 की प्रथम किस्त की 226.89 करोड की राशि प्राप्त हुई है जिसे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दी गई है। जिसमें से जिलों द्वारा मार्च, 11 तक 74.75 करोड़ व्यय किये जा चुके है।
- वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिलों में शेष उपलब्ध राशि 295.35 करोड़ एवं आलौच्च वर्ष में 226.89 करोड रूपये रिलीज की गई। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि 522.25 करोड़ में से अब तक 104.92 करोड़ व्यय किये जा चुके है तथा 24014 कार्य के लक्ष्य के विरूद्ध 11002 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है।

8. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनाः

- योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 08 से अब तक योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि 85.90 लाख रु में से 55.78 लाख रु की राशि व्यय कर 136 कार्य पूर्ण करवाये गये।
- ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण/विस्तार/परिवर्तन/मरम्मत/ जीर्णोद्वार हेतु वर्ष 2009–10 में द्वितीय किश्त रूपये 300.00 लाख भारत सरकार द्वारा माह दिसम्बर 2009 में रिलीज एवं राज्य मद की मैचिंग शेयर राशि 100.00 लाख इस प्रकार कुल उपलब्ध 400.00 लाख राशि के विरूद्ध 16 जिलों में 77 नवीन ग्राम पंचायतों भवनो के निर्माण एवं 180 ग्राम पंचायत भवनो के विस्तार/जिर्णोद्वार के स्वीकृत कार्य जो वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रारंभ कर माह तक 325.05 लाख की राशि व्यय कर 175 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है एवं 69 कार्य प्रगति पर है।
- राज्य के नान बी.आर.जी.एफ. 20 जिलो में योजना अन्तर्गत भवन रहित ग्राम पंचायतों में 73 पंचायत भवन निर्माण हेतु एवं राज्य के उक्त जिलों में 332 अन्य पंचायत भवन जो जीर्ण–शीर्ण/अनुपयोगी है के पुनर्निमाण हेतु रूपये 30.375 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये है।

9. जिला परिषदों/पंचायत समितियों के भवनों का विस्तार/ मरम्मत :

- जिला परिषदों/पंचायत समितियों की आवश्यकतानुसार भवनों का विस्तार/परिवर्तन/परिवर्धन/मरम्मत के लिये 50 प्रतिशत राशि निजी आय से उपलब्ध होने पर 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आयोजना मद से उपलब्ध करायी जाती है।
- वर्ष 2009–10 में 50 लाख का प्रावधान है जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार सम्बन्धित 5 जिलों की 2 जिला परिषद(पाली व स0 माधोपुर) एवं 4 पंचायत समितियो (बैर, सांगोद, तिजारा व सुमेरपुर) को 50 लाख की राशि हस्तान्तरित कर दी गई है।
- वर्ष 2010–11 में 50.00 लाख का प्रावधान है। जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार रूपये 50.00 लाख की 3 कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

- वर्ष 2010–11 में नवगठित 11 पंचायत समितियों में भवन निर्माण हेतु वित्त विभाग से 5.15 करोड की राशि की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित पंचायत समितियों को राशि आवंटित कर दी गई है।
- वर्ष 2011–12 में जिला परिषद बारां एवं प्रतापगढ के भवन निर्माण हेतु वित्त विभाग से 5.65 करोड की राशि की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है। कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य करवाये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है।

10. पंचायती राज संस्थाओं को निर्बन्ध राशि :

वित्तीय वर्ष 2011–12 से पंचायती राज संस्थाओं को निर्बंध राशि **(untied fund)** योजना प्रारंभ की गई है। ताकि ये संस्थायें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। निर्बंध राशि के सम्बन्ध में राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त के पश्चात दिशा निर्देश में आंशिक परिवर्तन वित्त विभाग के अनुमोदन पश्चात दिनांक 9.9.2011 को दिशा निर्देश जारी किये गये है।

- वित्तीय वर्ष 2011–12 में पंचायती राज संस्थाओं को निर्बंध राशि **(untied fund)** योजना में रूपये 777.54 करोड का वित्तीय प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार प्राविधित राशि की 90 प्रतिशत राशि में से एक तिहाई राशि रूपये 233.26 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर वितरण हेतु **प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 14.9.2011 को** जारी कर राशि जिलों को आवंटित की जा चुकी है।
- योजनान्तर्गत उक्त प्रावधान के अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल आवास योजना के हुडकों के ऋण के भुगतान हेतु पत्रावली पर 25.00 करोड़ राशि का अतिरिक्त प्रावधान दिया गया है जिसमें से 4.80 करोड़ की राशि दिनांक 19.8.11 एवं 12.67 करोड़ की राशि दिनांक 15.11.11 को सम्बन्धित जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है।

11. जिला नवाचार कोष (DIF) :

वित्तीय वर्ष 2011–12 से पंचायती राज संस्थाओं को जिला नवाचार कोष योजना प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से तेरहवें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को जिला नवाचार कोष के रूप में वित्तीय वर्ष 2011–12 में रूपये 13.20 करोड उपलब्ध कराये जाने का वित्तीय प्रावधान है।

12. क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन :

राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप सुदृढ किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये जाने हेतु गठित समिति की करों के समानुदेशन (Assignment) के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को राशि जारी किये जाने की सिफारिश की गई है। राज्य वित्त आयोग चतुर्थ द्वारा सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन के रूप में 263.61 करोड उपलब्ध कराये जाने का वित्तीय प्रावधान है।

राज्य वित्त आयोग चतुर्थ की अंतरिम रिपोर्ट के कार्यवाही विवरण के अनुसार उक्त राशि का अन्तरण सम्बन्धित विभागों द्वारा ही किया जाना है। इस संबंध में सम्बन्धित विभागों यथा खान एवं पैटोलियम विभाग, वित्तीय आबकारी विभाग, राजस्व विभाग एवं वित्तीय कर विभाग को अ.शा.टीप दिनांक 6.9.11 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की आय बढाए जाने के लिए पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना एफ–4 () 7संशो./नियम/विधि पैरा/2010/1348 दिनांक 12.8.11 द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1996 में वांछित संशोधन किया जा चुका है। पंचायती राज विभाग के अलावा खान एवं

पैटोलियम विभाग, वित्तीय विभाग, कृषि विपणन विभाग एवं वन विभाग के नियमों में संशोधन एवं क्रियान्विति रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया है।

13. निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान किये जाते है। ऐसी पुरस्कृत ग्राम पंचायतों को राज्य स्तर पर भी लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य में निर्मल ग्राम पुरस्कृत पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2007–08 से किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2010–2011 में पुरस्कृत 182 ग्राम पंचायतों के लिये 182.00 लाख, पंचायत समिति लूणकरणसर एवं पदमपुर को राशि रूपये 5–5 लाख एवं जिला परिषद बीकानेर को राशि रूपये 10.00 लाख योजनान्तर्गत 202.00 लाख विभागीय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 651 दिनांक 25.10.10 द्वारा स्वीकृत की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2011–2012 में 102 ग्राम पंचायतों के लिये 102.00 लाख विभागीय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध करा दी गई हैं।

14. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

राज्य में यह कार्यक्रम जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था। अब मंत्री मण्डल सचिवालय की अधिसूचना दिनांक 30.11.2010 की पालना में यह कार्यक्रम पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

- योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 08 से अक्टूबर, 11 तक **राज्य में कुल व्यक्तिगित परिवारों के लिए 2115189 शौचालय बनाए गए। जिसमें बी.पी.एल. परिवारों को 475850 शौचालय बनाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई जबकि 1639339 ए.पी.एल. परिवारों ने स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर आपने घरों में शौचालय का निर्माण किया है। राज्य के पाठशालाओं में 19342 शौचालय एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में 5823 शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा राज्य में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के 1114 कार्य सम्पादित किए गए है।**
- इस वर्ष राज्य में मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के अन्तगर्त 437000 घरों को स्वच्छता सुविधाओं से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित तय किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2011–12 में योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि 3443.79 लाख सम्बन्धित जिलों को हस्तान्तरित किये जा चुके है। तथा राज्य मद से राज्यांश रूपये 1337.10 लाख सम्बन्धित जिलों को हस्तान्तरित करने के लिए दिनांक 8.9.11 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर राशि जिलों को आंवटित की जा चुकी है।